

न्यायालय:-व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 चन्देरी जिला-अशोकनगर

(पीठासीन अधिकारी:-जफर इकबाल)

फाइलिंग नंबर-235103001922010

व्यवहार वाद कं.-17ए/2016

संस्थापित दिनांक-23.11.2000

1.थोवन पुत्र प्यारेलाल आयु 65 वर्ष व्यवसाय मजदूरी निवासी जुगयानापुरा, चंदेरी मृत द्वारा वारिसान:- 1अ-किशोरीलाल पुत्र थोवन अहिरवार आयु 30 वर्ष व्यवसाय खेती एवं मजदूरी 1ब-शक्करियाबाई पत्नी थोवन अहिरवार आयु 60 वर्ष व्यवसाय गृहकार्य निवासी चंदेरी 1स-रमकोवाई पुत्री थोवन अहिरवार पत्नी मुन्नलाल आयु 40 वर्ष व्यवसाय गृहकार्य निवासी चंदेरी हाल निवास ग्राम पारकना तहसील मुंगावली जिला अशोकनगर म0प्र0	वादीगण
विरुद्ध	
1.वालचंद पुत्र पन्ना अहिरवार आयु 50 वर्ष व्यवसाय खेती निवासी, चंदेरी मृत द्वारा वारिसान:- 1अ-मनोहर पुत्र वालचंद अहिरवार आयु 22 वर्ष व्यवसाय खेती 1ब-गुडडीबाई पुत्री वालचंद अहिरवार पत्नी रमेश अहिरवार आयु 30 वर्ष निवासी ग्राम बामौरकला जिला शिवपुरी 1स-कमला पुत्री वालचंद अहिरवार निवासी चंदेरी	

2.जुगतियाबाई वेवा पन्ना अहिरवार आयु 75 वर्ष निवासी, चंदेरी मृत द्वारा वारिसान:-

2अ-फुलियाबाई पुत्री पन्ना पत्नी मौजी अहिरवार आयु 55 वर्ष व्यवसाय खेती निवासी ग्राम नडेरी तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर

3.मोहन पुत्र पन्ना अहिरवार आयु 45 वर्ष

4.पूरन पुत्र वालचंद अहिरवार आयु 30 वर्ष

5.जयराम पुत्र मोहन अहिरवार आयु 20 वर्ष

6.घनश्याम पुत्र वालचंद अहिरवार आयु 27 वर्ष

7.तुलसिया पत्नी वालचंद अहिरवार आयु 45 वर्ष

8.फुलियाबाई पत्नी मोहन अहिरवार आयु 40 वर्ष

9.हल्कीबाई पत्नी कन्हैया अहिरवार आयु 70 वर्ष मृत

10.नत्थू पुत्र कन्हैया अहिरवार आयु 35 वर्ष

11.रतनसिंह पुत्र कन्हैया अहिरवार आयु 25 वर्ष सभी का व्यवसाय खेती निवासीगण, चंदेरी जिला अशोकनगर

12.घसीटा पुत्र प्यारेलाल अहिरवार आयु 50 वर्ष निवासी, चंदेरी मृत द्वारा वारिसान:-

12अ-रामप्रसाद पुत्र घसीटा अहिरवार आयु 35 वर्ष

12ब-मनोज पुत्र घसीटा अहिरवार आयु 21 वर्ष

12स-कमलेश पुत्र घसीटा अहिरवार आयु 19 वर्ष सभी निवासीगण चंदेरी

12द-गोविंददास पुत्र घसीटा अहिरवार आयु 13 वर्ष नावालिग संरक्षक मां रतिबाई वेवा घसीटा निवासी चंदेरी

12क-सजीबाई पुत्री घसीटा अहिरवार आयु 15 वर्ष नावालिग संरक्षक मां रतिबाई

12ख- रतिबाई वेवा घसीटा अहिरवार आयु 60 वर्ष व्यवसाय

<p>खेती सभी निवासीगण जुगयाना मौहल्ला, चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0</p> <p>13.निरपत पुत्र प्यारेलाल अहिरवार आयु 48 वर्ष निवासी जुगयानापुरा, चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0</p> <p style="text-align: right;">प्रतिवादीगण</p>
<p>वादीगण द्वारा श्री सतीश श्रीवास्तव अधिवक्ता ।</p> <p>प्रतिवादी गण द्वारा श्री अशोक शर्मा अधिवक्ता ।</p>

— / / निर्णय / / —

(आज दिनांक 04.10.2017 को घोषित)

01. वादीगण ने यह वाद प्रतिवादीगण के विरुद्ध कस्वा चंदेरी स्थित भूमि सर्वे क्र. 435 रकवा 0.021 हेक्टेयर एवं सर्वे क्र. 410/1 रकवा 0.021 हेक्टेयर के 1/4 भाग (जिसे आगे विवादित भूमि से संबोधित किया जाएगा) स्वत्व घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत प्रस्तुत किया है।
02. प्रकरण में कोई महत्वपूर्ण उल्लेखनीय स्वीकृत तथ्य नहीं है।
03. वादीगण का वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण के अनुसार उक्त विवादित भूमि के 1/4 भाग का वह स्वत्वाधिकारी है। वादी के अनुसार उक्त विवादित भूमि मे वादी के पिता के पूर्वजों के समय से मकान बने हुए है। वादी के अनुसार विवादित भूमि वादी की पैत्रिक संपत्ति है तथा जब तक वादी के पिता जीवित रहे तब तक विवादित भूमि एवं मकानों के स्वत्वाधिकारी रहे और उनकी

मृत्यु के बाद राजस्व रिकार्ड में वादी एवं प्रतिवादी क्र.12, 13 एवं हल्कीवाई, नत्थू वगैरह के पिता पति कन्हैया के नाम अंकित हो गये तथा प्रतिवादी क्र.9 लगायत 13 ने आपसी तौर पर वटवारा करके विवादित भूमि पर मकान का निर्माण किया। वादी के अनुसार प्रतिवादीगण उसके हिस्से की भूमि उसे प्रदान नहीं करते हैं तथा हील-हवाला करते रहते हैं। वादी ने अपने वादपत्र में अभिवचित किया है कि उक्त विवादित भूमि में प्रतिवादी क्र.1 लगायत 08 का कोई संबंध नहीं है। अतः उपरोक्त आधारों पर वादी ने उसे उक्त विवादित भूमि के 1/4 भाग का स्वत्वाधिकारी घोषित किये जाने एवं प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने बावत डिक्री पारित करने का निवेदन किया है।

04. उक्त वादपत्र के जवाब में प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वादपत्र में किए गए अभिवचनों को पूर्णतः अस्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण के अनुसार वादी द्वारा गलत आधारों पर वादपत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादीगण के अनुसार उक्त भूमि प्यारेलाल व पन्ना के पूर्वजों की थी तथा उनकी मृत्यु के पश्चात प्यारेलाल एवं पन्ना को प्राप्त हुई। प्रतिवादीगण के अनुसार नगरपालिका चंदेरी में सन 1950-51 के रजिस्टर में पन्नालाल व प्यारेलाल का नाम दर्ज है तथा प्यारेलाल व जुगतोवाई के मध्य पारिवारिक विभाजन पत्र भी संपादित हुआ है इसलिये वादी का प्रतिवादी क्र.1 व 3 के मकान व आंगन में कोई हक नहीं है। प्रतिवादीगण के अनुसार राजस्व अभिलेखों में वादी ने या उसके पिता ने कोई गलत इंड्राज करा लिया है। अतः उपरोक्त आधारों पर प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वादपत्र को अस्वीकार कर निरस्त करने का अभिवचन किया गया है।

05. वादी एवं प्रतिवादीगण के अभिवचनों के आधार पर इस न्यायालय द्वारा प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित वाद प्रश्न की विरचना की हैं, जिनके आगे इस न्यायालय के सकारण निष्कर्ष निम्नवत है :-

क्रं.	वाद प्रश्न	निष्कर्ष
01.	क्या वादी चंदेरी स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 433 रकवा 0.021 हेक्टेयर, सर्वे क्रमांक 410/1 रकवा 0.021 हेक्टेयर के 1/4 भाग का स्वत्वाधिकारी है ?	नहीं
02.	क्या वादी वादप्रश्न क्रमांक 01 में वर्णित भूमि का वटवारा कराया जाकर उसका आधिपत्य प्राप्त करने का अधिकारी है ?	नहीं
03.	क्या वादी वादप्रश्न क्रमांक 01 में वर्णित भूमि पर प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है ?	नहीं
04.	क्या वादी द्वारा वाद का सही मुल्यांकन कर उचित न्यायशुल्क अदा किया गया है ?	हाँ
05.	क्या क्या प्रकरण में पक्षकारों को असंयोजन का दोष है ?	नहीं
06.	सहायता एवं व्यय ?	“निर्णयानुसार वादी का वाद अस्वीकार कर सव्यय निरस्त किया गया।”

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

06. वादी ने अपने वाद के समर्थन में वा.सा. 01 किशोरीलाल, की मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत की है और साथ ही प्र0पी01 लगायत पी0 07 के दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत किए हैं। प्रतिवादीगण की ओर से प्र.सा. 01 गोविंददास, प्र.सा. 2 अशोक कुमार, प्र.सा.3 गंगाराम एवं प्र.सा.4 मोहन की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है। प्रतिवादीगण की ओर से प्र0डी01 एवं डी02 के दस्तावेज

अभिलेख पर प्रस्तुत किए गए हैं।

07. प्रकरण में अभिलेख पर आई हुई साक्ष्य आपस में संशक्त एवं अंतर्वलित है। अतः ऐसी स्थिति में साक्ष्य की पुनरावृत्ति के दोषनिवारणार्थ वाद प्रश्न क्रमांक 01 लगायत 03 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है एवं वाद प्रश्न क्रमांक 04,05 एवं 06 का निराकरण पृथक-पृथक से किया जा रहा है।

—:: वादप्रश्न क्र. 01 लगायत 03 ::—

08. वा.सा. 01 किशोरीलाल ने अपने कथन में बताया है कि उसके पिता थोवन के द्वारा दावा प्रस्तुत किया गया था जिनकी मृत्यु दावा चलने के दौरान हो गई। उक्त साक्षी के अनुसार उक्त विवादित भूमि का 1/4 हिस्सा उसके पिता के स्वत्व का है और जब तक उसके पिता जीवित रहे तब तक उक्त विवादित भूमि पर उनका आधिपत्य रहा है। उक्त साक्षी के अनुसार उक्त विवादित भूमि प्यारेलाल की भूमि थी जिनसे उसके पिता को उक्त भूमि प्राप्त हुई तथा उक्त विवादित भूमि का सही वटवारा नहीं किया गया जिस कारणवश प्रतिवादीगण हीला-हवाली करते रहते हैं तथा वादी के हिस्से पर जबरन कब्जा कर लिया है। उक्त साक्षी के अनुसार उक्त विवादित भूमि पर पन्नालाल का हिस्सा किस आधार पर था इस संबंध में उसे कोई जानकारी नहीं है और न ही उसके पास कोई दस्तावेज है। उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में बताया है कि वह यह नहीं बता सकता कि शासकीय खसरा क्र. 433 पर प्यारेलाल का नाम कैसे अंकित हो गया। उक्त साक्षी के अनुसार पन्नालाल को पुस्तैनी संपत्ति से उत्तराधिकार के नाते सर्वे क्र. 410 प्राप्त हुआ था तथा सर्वे क्र. 433 की भूमि प्रतिवादीगण ने दबाकर रखी हुई है।

09. प्रतिवादीगण की ओर से जो मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की

गई है उसमे प्र.सा.4 मोहन ने अपने कथन मे बताया है कि उक्त विवादित भूमि पर प्रतिवादीगण का कब्जा है। उक्त साक्षी के अनुसार उक्त विवादित भूमि उसके पिता पन्ना एवं पन्ना के भाई प्यारेलाल के पिता छत्ते की पुस्तैनी भूमि थी। उक्त साक्षी के अनुसार छत्ते की मृत्यु के पश्चात प्यारेलाल व पन्ना वादग्रस्त संपत्तियों के आधे आधे भाग पर काबिज हुए। उक्त साक्षी के अनुसार इसी प्रकार वे लोग अपने पिता के समय से उक्त विवादित भूमि पर काबिज है। उक्त साक्षी के अनुसार जुगतोवाई के पति पन्नालाल की मृत्यु होने के बाद उसके पिता ने पारिवारिक वटवारा कर लिया था जिसके आधार पर 1/2 भाग पर प्यारेलाल काबिज हुए थे तथा शेष 1/2 भाग पर जुगतोवाई का नाम दर्ज हुआ था। उक्त साक्षी के अनुसार वादी का भाई निरपत तहसील चंदेरी मे बाबू के पद पर पदस्थ था और उसने वेईमानी पूर्वक उक्त विवादित भूमि पर अपना नाम करा लिया है। उक्त साक्षी ने इस बात को स्वीकार किया है कि उनके द्वारा जो प्रमाणीकरण प्रस्तुत किया गया है उसमें भूमि का कोई सर्वे नंबर नहीं है और न ही कोई रकवा है।

10. प्र.सा.1 गोविंददास एवं प्र.सा.3 गंगाराम ने एक समान कथन किये हैं। प्र.सा.1 के अनुसार उसे छत्ते के बारे मे कोई जानकारी नहीं है तथा उसे विवादित भूमि के रकवों की भी कोई जानकारी नहीं है इसी प्रकार प्र.सा.3 के अनुसार उसे भी विवादित भूमि की लंबाई चौड़ाई की जानकारी नहीं है। उक्त साक्षी के अनुसार जुगतोवाई उसकी बहिन थी। प्र.सा.2 अशोक कुमार के अनुसार उन्होंने दिनांक 18.03.1985 को विभाजन पत्र लिखा था। उक्त साक्षी के अनुसार विभाजन पत्र का पंजीयन होना आवश्यक है। उक्त साक्षी ने इस बात को भी स्वीकार किया है कि विभाजन पत्र पर प्यारेलाल व जुगतोवाई के हस्ताक्षर नहीं हैं।

11. प्रतिवादी की ओर से जो मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है उसके अवलोकन से प्रकट होता है कि प्र.सा.2 पारिवारिक विभाजन पत्र

प्रमाणित करने में असफल रहा है। उक्त पारिवारिक विभाजन पत्र में जुगतोवाई एवं प्यारेलाल के हस्ताक्षर न होना स्वीकार किया गया है। इसी प्रकार प्र.सा.1 एवं प्र.सा.3 की साक्ष्य से भी प्रतिवादी के तथ्य प्रमाणित नहीं होते हैं। प्र.सा.1 एवं 03 दोनों न केवल हितवद्ध साक्षी प्रकट हो रहे हैं बल्कि प्र.सा.1 एवं 03 की साक्ष्य से ऐसा प्रकट हो रहा है कि दोनों साक्षीगण को विवादित भूमि की कोई जानकारी नहीं है। उपरोक्त साक्ष्य के अतिरिक्त अभिलेख पर वा.सा.1 एवं प्र.सा.4 की साक्ष्य अभिलेख पर रह जाती है। वा.सा.1 प्र.सा.4 की साक्ष्य अस्पष्ट एवं विरोधाभासी है। वा.सा.1 ने जहां एक ओर अपने कथनों में बताया है कि उसे पन्नालाल का हिस्सा किस आधार पर था इसकी कोई जानकारी नहीं है और साथ ही शासकीय खसरे का भी उल्लेख वा.सा.1 की साक्ष्य में हुआ है। इसी प्रकार प्र.सा.4 की साक्ष्य भी अस्पष्ट एवं विरोधाभासी है। उल्लेखनीय है कि वादी की मौखिक साक्ष्य के आधार पर स्वत्व संबंधी कोई निष्कर्ष देना समीचीन प्रतीत नहीं होता है। इसके लिए आवश्यक है कि उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के विवेचना के उपरांत कोई निष्कर्ष दिया जा सके।

12. किसी भी प्रकरण में वादी को अपना वाद प्रमाणित करने का भार होता है। वादी को अपने अभिवचन एवं साक्ष्य के आधार पर वाद प्रमाणित करना होता है। उल्लेखनीय है कि वादी ने अपने अभिवचनों एवं कथनों में यह बताया है कि उक्त विवादित भूमि उनकी पुस्तैनी भूमि है किंतु वादी ने कोई वंशवृक्ष अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया है जिसके आधार पर यह स्पष्ट हो सके कि उक्त विवादित भूमि किस प्रकार पुस्तैनी भूमि थी तथा किसको कैसे प्राप्त हुई। वादी ने उक्त विवादित भूमि के खसरा संवत् 2056 प्र0पी01 एवं 02 अभिलेख पर प्रस्तुत किया है। प्र0पी01 एवं प्र0पी0 02 के अवलोकन से प्रकट होता है कि उक्त विवादित भूमि पर वादी तथा प्रतिवादीगण का नाम कब्जेदार के रूप में दर्ज है। उक्त दस्तावेजों के अतिरिक्त वादी ने प्र0पी04 एवं प्र0पी05 के भवन निर्माण की स्वीकृति का पत्र अभिलेख पर प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त वादी ने अन्य

कोई दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया है। वादी के अनुसार उक्त विवादित भूमि उनकी पैत्रिक संपत्ति है किंतु विवादित भूमि के पैत्रिक संपत्ति को प्रमाणित करने के संबंध में वादी ने कोई पुराना राजस्व दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया है।

13. वादी ने वाद एक खसरे की प्रमाणित प्रतिलिपि अभिलेख पर प्रस्तुत की है किंतु वादी को यह प्रमाणित करना आवश्यक था कि उक्त विवादित भूमि पर उनका लंबे समय से कब्जा चला आ रहा है। जैसा कि वादी ने अपने वादपत्र एवं कथनों में अभिवचित किया है मात्र एक राजस्व दस्तावेज के आधार पर यह निष्कर्ष दे देना कि वादी उक्त विवादित भूमि का स्वत्वाधिकारी है समीचीन प्रतीत नहीं होता है। भवन निर्माण स्वीकृति पत्र के आधार पर भी स्वत्व संबंधी निष्कर्ष देना समुचीन प्रतीत नहीं होता है। इस संबंध में न्याय दृष्टांत मांगीलाल वि० सन्वन्त एवं अन्य 1988 राजस्व निर्णय 302 अनुकरणीय है जिसमें निश्चित किया गया है कि राजस्व अभिलेख की प्रविष्टियां किसी भी व्यक्ति को स्वत्व संबंधी कोई हक प्रदान नहीं करती है। उक्त आदर योग्य न्याय दृष्टांत विचाराधीन प्रकरण की परिस्थितियों में भी अनुकरणीय है। उक्त समस्त विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि वादी यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि वह उक्त विवादित भूमि का स्वत्वाधिकारी है तथा यह भी प्रमाणित करने में असफल रहा है कि उक्त विवादित भूमि के संबंध में वटवारा कराने एवं स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। परिणामतः वाद प्रश्न क्रमांक 01 लगायत 03 नकारात्मक निर्णीत किए जाते हैं।

—:: वादप्रश्न क्रं.-04 ::—

14. वादी ने प्रस्तुत वाद स्वत्व घोषणा, वटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा बावत प्रस्तुत किया है। वादी ने जो न्यायशुल्क चशपा किया है वह न्यायशुल्क अधिनियम की धारा 7 के प्रावधानों के अंतर्गत चशपा किया जाना प्रकट हो रहा है। परिणामतः

: वाद प्रश्न क्रमांक 04 सकारात्मक निर्णीत किया जाता है।

—:: वादप्रश्न क्रं.—05 ::—

15. प्रकरण में अभिलेख पर जो साक्ष्य आई है उसके अवलोकन से प्रकट होता है कि वादी ने सभी आवश्यक पक्षकारों को प्रकरण में पक्षकार बनाया है। उल्लेखनीय है कि अभिलेख पर ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है जिसके आधार पर यह निष्कर्ष दिया जा सके कि वादी ने आवश्यक पक्षकारों को प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया है। इस प्रकार प्रकरण में पक्षकारों के असंयोजन का दोष नहीं है। परिणामतः वाद प्रश्न क्रमांक 05 नकारात्मक निर्णीत किया जाता है।

—:: वादप्रश्न क्रं.—06 ::—

16. साक्ष्य एवं विधि के उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि वादी अपना वाद प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः वादी का वाद अस्वीकार कर सव्यय निरस्त किया जाता है।

17. वाद का संपूर्ण व्यय वादी द्वारा वहन किया जाएगा एवं अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर या सूची अनुसार जो भी कम हो देय होगी।

उपरोक्तानुसार जयपत्र की रचना की जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत मेरे बोलने पर टंकित किया गया।
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

(ज़फ़र इकबाल)
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—1
चंदेरी, जिला अशोकनगर

(ज़फ़र इकबाल)
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—1
चंदेरी, जिला अशोकनगर